संख्या:28/2023/2363811/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषय:- प्रदेश के कृषि विकास दर के ऑकड़ों का सही-सही निर्धारण हेतु कृषि सांख्यिकी से सम्बन्धित ऑकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के कृषि विकास दर के ऑकड़ों का सही-सही निर्धारण करने के लिए कृषि सांख्यिकी के ऑकड़ों का सुतथ्य होना आवश्यक है। प्रदेश में राजस्व कार्मिकों यथा-लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा सम्पन्न कराये गये फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्रदेश में बोई जाने वाली खरीफ तथा रबी मौसम की प्रमुख फसलों के उपज के अनुमान के ऑकलित किये जाते हैं। प्रदेश में इन्हीं ऑकडों के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के साथ ही खाद्य नीतियों के निर्धारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि कृषि सांख्यिकी से सम्बन्धित ऑकडें सुतथ्य एवं प्रमाणित हों।

2. कतिपय प्रकरणों में यह संज्ञानित हुआ है कि जनपद स्तर से फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के उपरान्त बिना जिलाधिकारी के संज्ञान में लाये उपज के ऑकड़ों को निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा तथा राजस्व परिषद, उ0प्र0 को प्रेषित कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर से इन ऑकड़ों को मण्डलायुक्त कार्यालय को भी नहीं प्रेषित किया जाता है। जिससे इन ऑकड़ों के सन्दर्भ में सम्बन्धित मण्डल के आयुक्त जनपद के जिलाधिकारी को जानकारी नहीं हो पाती है, फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तर पर सम्पादित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों का सह-अवलोकन बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के द्वारा भी किया जाता है। फसल कटाई प्रयोगों के ऑकड़ों के सन्दर्भ में बीमा कम्पनी द्वारा संज्ञानित कराई आपत्ति को जनपदों के ऑकड़ों से पुष्टि करने पर कुछ जनपदों में विसंगतियों प्रकाश में आई। अस्तु यह आवश्यक है कि कृषि सांख्यिकी से सम्बन्धित समस्त ऑकड़ें जनपद के जिलाधिकरी के अनुमोदन के उपरान्त ही मण्डलायुक्त कार्यालय, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्व परिषद, उ0प्र0 को प्रेषित किये जाएँ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. इस सम्बन्ध में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर सम्पादित कराए गये फसल कटाई प्रयोगों के ऑकड़ें एवं अन्य कृषि सांख्यिकी से सम्बन्धित समस्त ऑकड़ों को अपने अनुमोदन के उपरान्त ही मण्डलायुक्त कार्यालय, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 एवं राजस्व परिषद, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि कृषि सांख्यिकी के ऑकड़ों को प्रमाणित रूप से तैयार कराते हुए प्रदेश के कृषि विकास दर के ऑकड़ों का सही-सही निर्धारण किया जा सके।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:28/2023/2363811(1)/1440478/12-2099/161/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3. कृषि निदेशक, उ0प्र0।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वह जनपद स्तरीय अधिकारियों से उक्त का अनुपालन करने हेतु निर्देश निर्गत करें तथा अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।